सहायक कलेक्टर
(SDO) शिव

# फर्द अहकॉम

(नियम 26)

## अज अदालत सहायक कलक्टर /उपखण्ड अधिकारी, शिव

हनुमानराम / रीख्माराम जाति वनाम मोहम्मद रहीम / जानुखां जाति मुसल्मान
मेघवाल निवासी शिव तह-शिव निवासी-निम्बासर तह-शिव ।
(5) (3)

किस्म मुकदमा राजस्व वाद 88,183,207 अधि. RTAct मुकदमा नम्बर 125 / 2019

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व दिनांक अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 19/8/2019 | प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री नरेन्द्र सिंह सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88, 183, 207 RTAct राजस्थान काश्तकारी अधिनियम/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है । जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेरपोडेन्ट जरिये नोटिस / सम्मन तलव होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 18.09.2019 को पेश हो ।<br>[signature]<br>सहायक कलेक्टर<br>(SDO) शिव | |
| 18/9/19 | पत्रावली आज पेश हुइ ।<br>आज हम दिगर कार्यो में व्यस्त है।<br>अतः इतला होकर पत्रावली आईन्दा वास्ते अग्रिम कार्यवाही दि. 25/10/19 को पेश हो।<br>[signature] | |
| 25/10/19 | पत्रावली पेश हुई ।<br>वादी अधिवक्ता उप. । प्रतिवादीगण को जरिये ... जारी ... सम्मन जारी होकर ... के सम्मन की रसीदो को ... होकर दि. 27/11/19 को पेश हो ।<br>[signature]<br>सहायक कलक्टर<br>(SDO) शिव | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 12:04:40 IST
Reason: SelfAttested

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| ..1.07.25 | पत्रावली पेश। बानुलाप उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 13.08.25 को पेश हो।<br>सहायक कलक्टर<br>शिव (बाड़मेर) | |
| 13.8.25 | पत्रावली पेश हुई।<br>वादी /प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।<br>पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इत्तला होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 17.09.25 को पेश हो। | |
| 17.09.25 | पत्रावली पेश। वादी वकील उपस्थित।<br>पत्रावली मे वादी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादी वकील द्वारा अपनी बहस मे निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वादीगण के वालिद को पूर्व मे आवंटन हुई थी, जिसे बाद मे न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसकी निगरानी राजस्व मण्डल अजमेर मे विचाराधीन है। वक्त आवंटन से वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त खसरा मे 21.18 बीघा भूमि पूर्व खातेदार कानाली पुत्र काछु को आवंटन हुई थी। उक्त भूमि की वर्तमान तरमीम को वर्तमान खातेदार द्वारा वादीगण की कुआणी हुई भूमि को हड़पने की नियत से गलत तरमीम [illegible] है जिसे वादीगण सही योजना करवाने [illegible] अधिकारी है। अतः श्रीमान से [illegible] आराजी के खसरा नम्बर 65, 65/[illegible] वर्तमान तरमीम को निरस्त किया जाकर मौके [illegible] सही तरमीम योजना का आदेश प्रदान किया जावे।<br>सहायक कलक्टर<br>शिव (बाड़मेर) | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 12:04:40 IST
Reason: SelfAttested

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर अहकाम हुक्म ... में जारी हु... |
|---|---|---|
| | वादी वकील की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि वादग्रस्त आराजी पूर्व में टेमा पुत्र कानी को आवंटन होने पर माननीय न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर द्वारा उक्त आवंटन को खारिज कर दिया गया तथा वर्तमान में वादग्रस्त आराजी खनिज विभाग को आरक्षित है। वादग्रस्त आराजी खनिज विभाग को आरक्षित होकर राज. सरकार के खाते में दर्ज होने से वादीगण का वादग्रस्त भूमि में कोई अधिकार नहीं है। वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी में तरमीम घोषणा का अनुतोष चाहा गया है जबकि वादीगण विवादित आराजी के रेकॉर्ड खातेदार नहीं होने से वादीगण दावा लाने तथा दावा के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है। अतः वादीगण उक्त वाद में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने से वाद को इसी स्टेज पर अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है तथा साथ ही तहसीलदार शिव व खनिज विभाग को आदेश प्रदान किया जाता है कि उक्त प्रकरण के संबंध में जांच करें, यदि कोई तरमीम के त्रुटि पाई जाती है तो नियमानुसार [illegible] कार्यवाही करते हुए । माह में [illegible] सुनिश्चित करें।<br>पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। | |

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 12:04:40 IST
Reason: SelfAttested